

नम्बर
अहकाम
की तारीख

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामीर में जारी हुए

बैठक है।

अतः अध्यादेश में पार्थी का
गार्मना पत्र आंशिक स्वीकार किया
जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का
ब्रवाजा को अधिकृत किया जाता है
कि उसके गाम - चौथ का ब्रवाजा
तहसील क्षेत्र - चौथ का ब्रवाजा के
खता संख्या तथा - 204 में
अंकित धूडया पुत्र मोरया के
स्थान पर धूडया पुत्र कंवरया
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करे।
पालनार्थ तहसीलदार, चौथ का ब्रवाजा
को तहरीर जारी की जाये।
प्रभावली फ़ैमल की जाकर दाखिल
दफ़तर की जाती है।

W.S.

